रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर(म.प्र.)
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)

क्रमांक / अका. / 2026 / 41 जबलपुर, दिनांक 23/1/2026

अधिसूचना

सर्वसम्बधितों के लिए एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत महाविद्यालयों की सत्र 2026–27 की अस्थायी सम्बद्धता / निरंतरता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2026 निर्धारित है। 01 मार्च, 2026 से 15 मई, 2026 25% प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ सम्बद्धता / निरंतरता शुल्क जमा की जा सकती है।

अतएव समस्त संचालिम महाविद्यालय 28 फरवरी 2026 के पूर्व शुल्क जमा करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि किसी महाविद्यालय को सम्बद्वता शुल्क जमा करने मे असुविधा हो रही है तो विश्वविद्यालय (संबंधित विभाग) से जानकारी प्राप्त कर सकते है। सम्बद्वता शुल्क के अभाव में आगामी सत्र की ई–प्रवेश प्रक्रिया बाधित होती है तो सम्पूर्ण जवाबदेही महाविद्यालय की होगी।

नोटः– 1. समस्त अशासकीय महाविद्यालय सत्र 2026–2027 की अस्थायी सम्बद्वता / निरंतरता के आवेदन के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 में उल्लेखित मापदण्डों के अनुसार प्राचार्य / शिक्षकों की नियुक्ति एवं एण्डाउमेंट, फंड, की पूर्ति निरीक्षण के पूर्व सुनिश्चित करें।

2. सम्बद्धता / निरंतरता शुल्क एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से ही जमा करना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर

पृ. क्रमांक / अका. / 2026 / ......41 "अ" जबलपुर, दिनांक 23/1/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यगण।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा विभाग जबलपुर संभाग,जबलपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
4. प्रभारी आई.क्यू.ए.सी. सेल, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
5. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण।
6. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर को इस अनुरोध के साथ कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
7. कुलगुरू जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर